झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 459/2024

तपेश्वर गोस्वामी @ छेदी @ छेदि गोस्वामी @ तारकेश्वर गोस्वामी, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता- शंकर नाथ गोस्वामी, ग्राम- बंतारा गोला, डाकघर- कुम्हारडेगा, थाना- गोला, जिला- रामगढ़

... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य ... विपक्षी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री प्रतीक सेन, अधिवक्ता

विपक्षी के लिए : सुश्री कुमारी रश्मि, अपर लोक अभियोजक

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना ।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रामगढ़ द्वारा 2022 के विरोध-सह-शिकायत केस संख्या 342 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 323/341 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है (क) क्या यह सच है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 204 के तहत समन जारी करने का आदेश दिया गया है; और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रामगढ़ की अदालत में लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 11.10.2021 को शाम लगभग 05:00 बजे, याचिकाकर्ता सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ शिकायतकर्ता के घर में घुस गई और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसके निजी अंगों को छुआ। जब शिकायतकर्ता की बेटी उसके बचाव में आई तो याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी के साथ बुरे इरादे से शिकायतकर्ता की बेटी के सीने पर हाथ रख दिया, जिससे उसे चोट लगी और वह नीचे गिर गई।

4. शिकायतकर्ता ने एक लिखित रिपोर्ट दायर की, जिसके आधार पर गोला थाना केस नंबर 127/2021 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटना स्थल के सी.सी.टी.वी. फुटेज से जांच पूरी होने के बाद; प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता वहां मौजूद नहीं पाया गया था और जैसा कि जिन मजदूरों पर घटना देखने का आरोप लगाया गया था, उन्होंने अपने बयान में पुलिस के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, इसलिए पुलिस ने सबूतों की कमी के लिए एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और याचिकाकर्ता को मुकदमे के लिए नहीं भेजा। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर की और उसी के आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 341 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान संक्षिप्त के पृष्ठ-61 की ओर आकर्षित किया, जो निर्विवाद रूप से शिकायतकर्ता, उसकी बेटी और उसके पति द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 11.10.2021 को लगभग 04:25 बजे, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के पति के साथ मारपीट की और उसकी गर्दन दबाई और जब शिकायतकर्ता की बेटी अपने पिता के बचाव में गई, याचिकाकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसे चोटें आईं और इस प्रक्रिया में वह भी गिर गई और जब शिकायतकर्ता उनके बचाव में आया, तो याचिकाकर्ता और सह-आरोपी व्यक्तियों ने भी उसके साथ मारपीट की। कृष्ण लाल चावला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2021) 5 SCC 435 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना और अन्य (2021) 5 SCC 435 में रिपोर्ट किया गया, कंडिका 15 का प्रासंगिक भाग

निम्नानुसार है: -

"15. XXXX xxxx xxxx

विलंबित शिकायत मामला दर्ज करने, भौतिक तथ्यों को दबाने और अपने पहले संस्करण में भौतिक रूप से सुधार करने के लिए नई कार्यवाही का उपयोग करने में प्रतिवादी 2 का आचरण, समग्रता में, अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।"

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि 17.10.2021 को देर से एफआईआर दर्ज करने में शिकायतकर्ता का आचरण भौतिक तथ्यों को दबाना और कथित घटना की तारीख को 11.10.2021 को पुलिस को प्रस्तुत उसके पहले के संस्करण में भौतिक रूप से सुधार करने के लिए नई लिखित रिपोर्ट का उपयोग करना ही अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और अकेले इस स्कोर पर पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

6. विनीत कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2017) 13 एससीसी 369 कंडिका संख्या 41 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, जो निम्नानुसार है: -

"41. दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई अंतर्निहित शक्ति न्याय की उन्नति के उद्देश्य के साथ है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी परोक्ष उद्देश्य से न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की मांग की जाती है, तो न्यायालय को बहुत ही दहलीज पर प्रयास को विफल करना होगा। न्यायालय अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता है यदि मामला हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 पूरक (1) एससीसी 335: 1992 एससीसी (सीआरआई) 426] में इस न्यायालय द्वारा प्रगणित श्रेणियों में से एक में आता है। न्यायिक प्रक्रिया एक गंभीर कार्यवाही है जिसे ऑपरेशन या उत्पीड़न के साधन में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब यह इंगित करने के लिए सामग्री है कि एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण रूप से भाग लेती है और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है, तो उच्च न्यायालय हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 पूरक (1) एससीसी 335: 1992 एससीसी (सीआरआई) 426] , जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: (एससीसी पी. 379, कंडिका 102)

"102. (7) जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण रूप से भाग लेती है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे अपमानित करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है।"

उपरोक्त श्रेणी 7 वर्तमान मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से आकर्षित होती है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 पूरक (1) एससीसी 335: 1992 एससीसी (सीआरआई) 426] के फैसले को नोट किया है, लेकिन वर्तमान मामले के प्रासंगिक तथ्यों का विज्ञापन नहीं किया, जिन सामग्रियों पर आईओ द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि वर्तमान एक उपयुक्त मामला है जहां उच्च न्यायालय को धारा 482 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 482 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के प्रयास को विफल करना है जो अदालत की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए बहुत ही दहलीज पर कुछ परोक्ष मकसद के साथ प्रयास करना चाहता है और यह याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि स्वीकार किए गए तथ्यों के कारण कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता का अंग है, इसलिए प्रतिशोध लेने के लिए उनके खिलाफ झूठा आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।

7. राजीव थापर और अन्य बनाम मदन लाल कपूर (2013) 3 एससीसी में रिपोर्ट किया गया के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, कंडिका संख्या 29 का संगत भाग जो निम्नानुसार है -

"29. XXXX xxxx xxxx दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 के तहत अपने निहित क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना होगा कि अभियुक्त द्वारा पेश की गई सामग्री ऐसी है जो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि उसका बचाव ठोस, उचित और निर्विवाद तथ्यों पर आधारित है; उत्पादित सामग्री ऐसी है जो अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगी और विस्थापित कर देगी;

और प्रस्तुत सामग्री ऐसी है जो अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में निहित आरोपों की सत्यता को स्पष्ट रूप से खारिज कर देगी और खारिज कर देगी।

XXXXX xxxx xxxx"

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा घटना की कथित तारीख यानी 11.10.2021 को पुलिस को सौंपी गई पहली रिपोर्ट से स्पष्ट है, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने ऐसी सामग्री पेश की है जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि उसका बचाव उचित और निर्विवाद तथ्य पर आधारित है और इस तरह की सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगी और विस्थापित कर देगी और अंतिम रिपोर्ट, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोक सेवक-पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान का संदर्भ है, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए अधिग्रहण में निहित आरोपों की सत्यता को स्पष्ट रूप से खारिज और खारिज कर देगा।

8. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त के समान मामले को पहले ही रद्द कर दिया गया है और इस न्यायालय ने 10 जनवरी, 2024 के निर्णय के माध्यम से रद्द कर दिया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा; इसलिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रामगढ़ द्वारा 2022 के विरोध-सह-शिकायत वाद संख्या 342 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाए।

9. दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रामगढ़ द्वारा 2022 के विरोध-सह-शिकायत मामला संख्या 342 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रामगढ़ की अदालत में लंबित है और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है जिसके संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

10. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह निर्विवाद है कि शिकायतकर्ता ने 11.10.2021 को पुलिस को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है और उसने खुद बयान के कंडिका नंबर 6

में गंभीर प्रतिज्ञान में इसे स्वीकार किया है। इसलिए निश्चित रूप से, बाद की लिखित रिपोर्ट, जिसे 17.10.2021 को प्रस्तुत 2021 के गोला थाना केस नंबर 127 के एफआईआर के रूप में माना गया है, उसी घटना के संबंध में दूसरी लिखित रिपोर्ट है जो निश्चित रूप से दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 162 से प्रभावित है। 17.10.2021 को प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट द्वारा, शिकायतकर्ता ने 11.10.2021 को कथित घटना के तुरंत बाद पुलिस को सौंपी गई अपनी पहली लिखित रिपोर्ट में तर्क दिए गए मामले की तुलना में पूरी तरह से अलग मामला बनाया है। सी.सी.टी.वी. फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर मामले की जांच के दौरान पुलिस; जो शिकायतकर्ता द्वारा घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहे थे, उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को सही नहीं पाया है और कथित घटना के समय घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति नहीं पाई गई थी। याचिकाकर्ता के मोबाइल टॉवर स्थान से पता चलता है कि वह घटना के समय कथित घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।

11. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और प्रतिशोध लेने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रामगढ़ द्वारा 2022 के विरोध-सह-शिकायत केस नंबर 342 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाए और केवल याचिकाकर्ता के लिए अलग रखा जाए।

12. तदनुसार, दिनांक 08.02.2023 के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रामगढ़ द्वारा 342/2022 के विरोध-सह-शिकायत वाद संख्या के संबंध में पारित किया गया, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रामगढ़ की अदालत में लंबित है, को रद्द किया जाता है और केवल याचिकाकर्ता के लिए अलग रखा जाता है।

13.परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

(अनिल कुमार चौधरी,न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 20 मार्च, 2024

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।